न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :-95/2017/भीलवाड़ा (2017/00113)

1. चुन्नीलाल पुत्र लेला, जाति अहीर, निवासी सुरावास, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट

बनाम

1. नन्दराम पुत्र बोतलाल,
2. रामेश्वर पुत्र बोतलाल,
3. जगदीशचन्द्र पुत्र बोतलाल,
4. संतोकलाल पुत्र बोतलाल,
   समस्त जाति ब्राहमण, निवासी सुरावास, तह0 सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर जिला भीलवाड़ा दिनांक 23.5.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्याः-51/2006.

उपस्थितः-

1. श्री अजीत सिंह राठैड, वकील अपीलांट ।
2. श्री अशोक नाथ योगी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4.

निर्णय

दिनांक :- 14.6.2018

अपीलांट ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर, जिला भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 23.5.2016 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, गंगाुपर के समक्ष राज्य सरकार को अप्रार्थी मुर्तिब करते हुए प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राहज0भूराजस्व अधि0 प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 के पिता

बोतलाल पुत्र कालूराम की खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नंबर 924 रकबा 1-2-0 एवं खसरा संख्या 925 रकबा 3 बिस्वा जिसके नये नंबर 742 रकबा 0.24 है0 कायम किये गये है जो ग्राम सोरावास में अवस्थित है लेकिन भू-प्रबंध विभाग द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 के पिता की खातेदारी भूमि बिलानाम साबिक खसरा नंबर 923 मिन जिसके नये खसरा नंबर 743 रकबा 0.24 है0 व खसरा संख्या 741 रकबा 0.22 है0 बनाये गये तथा साबिक खसरा नबंर 998/1 मिन जिसके नये खसरा नंबर 744 रकबा 0.81 है0 बनाये गये जिनमें से हाल खसरा नंबर 741 रकबा 0.22 है0 में रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 742 का रकबा 0.02 है0 शामिल कर दिया एवं उक्त हाल खसरा नंबर 741 रकबा 0.22 है0 को बिलानाम रास्ता दर्ज कर दिया । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नंबर 741 किस्म रास्ता में से 0.02 है0 भूमि कम की जाकर रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 742 रकबा 0.02 है0 में शामिल कर दुरूस्ती की जावे। विद्वान अधी0न्याया0 ने दिनांक 23.5.2016 को निर्णय पारित कर प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 4 का प्रार्थना पत्र धारा 136 स्वीकार कर रास्ते की आराजी खसरा संख्या 741 रकबा 0.22 है0 में से 0.02 है0 भूमि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 742 रकबा 0.24 है0 में शामिल कर सार्वजनिक आम रास्ते को बंद करने का आदेश पारित किया है । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट्स के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 की बहस सुनी गई । xx

3- सर्वप्रथम विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा प्रार्थी एवं समस्त ग्रामवासियान द्वारा उपयोग एवं उपभोग किये जा रहे सार्वजनिक आम रास्ते की भूमि पर अप्रार्थीगण को खातेदार घोषित कर दिया है । ऐसी स्थिति में यदि अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता बंद कर दिया जाता है तो प्रार्थी एवं समस्त ग्रामवासियान के हित प्रभावित होते है जिससे प्रार्थी व्यथित एवं पीड़ित पक्षकार की श्रेणी में आता है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अधी0न्याया0 के आदेश दिनांक 23.5.2016 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

4- विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि सार्वजनिक आम रास्ता खसरा नबर 741 अन्य ग्रामवासियान के साथ कदीम से अपीलांट के उपयोग उपभोग में आने तथा प्रार्थी की आराजियात रास्ते की भूमि से लगते हुए होने के बावजूद रेस्पो0 ने अपीलांट को अधी0न्याया0 में पक्षकार नहीं बनाया तथा एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया है जिससे अपीलांट को अधी0न्याया0 के आदेश दिनांक 23.5.2016 की जानकारी नहीं हो सकी । अपीलांट को

निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 6.3.2017 को तब हुई जब अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता बंद करने का प्रयास करने पर अपीलांट द्वारा ऐतराज किये जाने पर रेस्पो0 ने अवगत कराया कि उक्त भूमि का निर्णय रेस्पो0 के पक्ष में हो चुका है, जिस पर अपीलांट ने दिनांक 7.3.2017 को गंगापुर जाकर अभिभाषक से संपर्क कर उसी दिन निर्णय की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया तथा निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के उपरांत जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

5- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि नक्शा ट्रेस एवं अधिकार अभिलेख तथा मिलान क्षैत्रफल के अनुसार आराजी खसरा नंबर 741 रकबा 0.22 है0 किस्म रास्ता का सृजन सार्वजनिक बिलानाम भूमि साबिक खसरा नंबर 923 से हुआ है जो रेस्पो0 संख्या 1 से 4 की खातेदारी में कभी दर्ज नही रहा बल्कि रेस्पो0 संख्या 1 से 4 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 742 का सृजन साबिक खसरा नंबर 924 एवं 925 से हुआ है जो अधिकार अभिलेख में किस्म नहरी दर्ज है लेकिन मौके पर भौतिक रूप से नाडी (छोटा तालाब) अवस्थित है । इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को नजरअंदाज कर सिवायचक आम रास्ते की आराजियात रेस्पो0 संख्या 1 से 4 की खातेदारी में दर्ज करने का आदेश प्रदान कर सार्वजनिक आम रास्ते को बंद करने का अदृश्य रूप से आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अपीलांट की खातेदारी काश्तकारी की आराजी खसरा संख्या 926/2 मिन रकबा 1-17-00 बीघा एवं खसरा संख्या 928/2 रकबा 1-3-0 बीघा जिसके नये खसरा नंबर 748 रकबा 0.09 है0, खसरा संख्या 749 रकबा 0.38 है0 तथा खसरा संख्या 750 रकबा 0.19 है0 कायम किये गये की उत्तरी-पूर्वी सीमा पर उत्तर से दक्षिण की ओर उपरोक्त वर्णित सार्वजनिक आम रास्ता खसरा नंबर 741 जाता है तथा इसी रास्ते से अपीलांट एवं आस-पड़ौस के सभी खातेदार पीढ़ियों से आवागमन करते आ रहे है लेकिन पूर्व में भी रेस्पो0 संख्या 1 से 4 द्वारा उक्त सार्वजनिक आम रास्ता बंद करने पर आमादा होने पर अपीलांट द्वारा वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, गंगापुर के न्यायालय में वाद संख्या 33/2006 श्रीमती नानीबाई बनाम नंदलाल वगैरह प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 24.2.2015 को डिक्री किया जाकर उक्त रास्ते को बंद नहीं करने एवं रास्ते में किसी प्रकार का अवरोध पैदा नहीं करने बाबत् जरिये स्थायी निषेधाज्ञा रेस्पोडेंटस को पाबंद किया गया था । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि इसी प्रकार ग्राम सूरावास के चुन्नीलाल, नारायणलाल, नानूराम एवं रामलाल द्वारा भी सिविल न्यायाधीश, गंगापुर के समक्ष दीवानी वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र संख्या 12/2007 वर्तमान रेस्पो0 तथा जिला कलक्टर एवं तहसीलदार के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि ग्राम सुरावास की आराजियात खसरा

नंबर 729, 741, 744 एवं 754 गैर मुमकिन रास्ता भूमि है तथा इसी रास्ते से ग्राम सुरावास से माझावास की सीमा में स्थित कालाजी के देवस्थान में भक्त आवागमन करते है तथा आस-पड़ौस के सभी काश्तकार इसी रास्ते का उपयोग करते आ रहे है लेकिन रेस्पो0 उक्त रास्ते के उपयोग में बाधा उत्पन्न करने पर आमादा है जिन्हें पाबंद किया जावे । उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 24.5.2013 को विद्वान सिविल न्यायाधीश, गंगापुर द्वारा स्वीकार किया जाकर उक्त रास्ते में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करने बाबत् रेस्पो0 को पाबंद किया गया है । माननीय सिविल न्यायालयों के आदेशों से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी सार्वजनिक रास्ते की भूमि है किन्तु उक्त वाद के तथ्यों को छिपाकर रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने अधी0न्याया0 से अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । खसरा नंबर 741 का सृजन रेस्पो0 संख्या 1 से 4 की खातेदारी भूमि साबिक खसरा नंबर 924 एवं 925 से नहीं होकर सार्वजनिक बिलानाम भूमि साबिक नंबर 923 मिन से हुआ है। रेस्पो0 संख्या 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राज0भू-राजस्व अधि0 में अधी0न्याया0 द्वारा रास्ता भूमि पर रेस्पे0 संख्या 1 से 4 को खातेदार उद्घोषित करने जैसा आदेश पारित किया गया है जो धारा 136 राज0 भू-राजस्व अधि0 के क्षैत्राधिकार में निहित नहीं है एवं ना ही सार्वजनिक आम रास्ते पर किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को खातेदारी अधिकार ही प्रदान किये जा सकते है । धारा 136 राज0 भू-राजस्व अधि0 में तभी दुरूस्ती की जा सकती है जब दोनों पक्ष दुरूस्ती हेतु सहमत हो अथवा राजस्व ऐजेन्सी के समक्ष दौराने निरीक्षण त्रुटि प्रकट होने पर स्वंय राजस्व ऐजेन्सी दुरूस्ती हेतु सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु अनुशंसा प्रस्तुत करे । अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों से परे जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 23.5.2016 अपास्त किया जावे। विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 2015 पेज 256, आर0आर0डी0 सितम्बर 2001 पेज 409, आर0बी0जे0 2007 (14) पेज 640, आर0आर0डी0 1977 पेज 276 एवं आर0बी0जे0 2011 (18) पेज 70 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।xx

6- विद्वान वकील रेस्पोडेटस संख्या 1 से 4 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रकरण के विचाराधीन रहते अपीलांट ने स्वंय को हितबद्ध पक्षकार होना बताकर पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किये जाने पर अधी0न्याया0 ने बाद सुनवाई अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया था तथा उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांट द्वारा मान0 राजस्व मण्डल में निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई जिसे मान0 मण्डल ने निरस्त करते हुए अपने निर्णय में स्पष्ट फाईण्डिग दी कि अपीलांट अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन प्रकरण अंतर्गत धारा 136 राज0भू-राजस्व अधि0 में हितबद्ध पक्षकार नहीं है । एक बार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपीलांट को हितबद्ध पक्षकार नहीं मानने के उपरांत भी अपीलांट ने न्यायालय हाजा के

समक्ष प्रस्तुत अपील में धारा 96 जा0दी0 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति चाही है जो उचित नहीं है । अपीलांट अपीलाधीन आदेश से पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार नहीं है । अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 अस्वीकार कर अपील इसी स्तर पर अपास्त की जावे। अपने कथनों के समर्थन में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने पी0जेड0क्यू 2003 सुप्रीमकोर्ट पेज 1989 का न्यायिक दृष्टांत प्रेषित किया। विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि तहसीलदार ने अपनी मौका रिपोर्ट में स्पष्ट स्वीकार किया है कि सैटलमेंट के दौरान नक्शा ट्रेस व रिकार्ड बनाते समय त्रुटि हुई है । सैटलमेंट विभाग को पूर्व नक्शे एवं राजस्व रिकार्ड में बिना सक्षम न्यायालय के आदेशों के परिवर्तन का अधिकार नहीं था । रेस्पो0 द्वारा राज्य सरकार से अनुतोष चाहा गया था ना कि पड़ौसी काश्तकारों से इसलिये अपीलांट प्रस्तुत प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं है । अधी0न्याया0 ने सैटलमेंट के दौरान नक्शा ट्रेस एवं राजस्व रिकार्ड में की गई त्रुटि को धारा 136 राज0भू–राजस्व अधि0 के तहत दुरूस्त करने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् है । अपीलांट चुन्नीलाल के खेत वादग्रस्त भूमि के आस–पास नहीं है । अपीलांट ने मात्र अपीलांट चुन्नीलाल ने अन्य अपील के अपीलांट नानी बाई के कहने से अपील प्रस्तुत की है इसलिये अपीलांट चुन्नीलाल का भी प्रकरण में कोई लोकस नहीं है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि नक्शा ट्रेस में हुई त्रुटि को वाद के बजाय एल0आर0 एक्ट की समरी कार्यवाही में ही दुरूस्त किया जा सकता है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में डी0एन0जे0 1995 पेज 540 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया । xx

7- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस की बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 में यह कथन किया कि सार्वजनिक आम रास्ते की भूमि खसरा नंबर 741 रकबा 0.22 है0 में से 0.02 है0 भूमि को खसरा नंबर 742 में शामिल करने के आदेश पारित कर नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती के आदेश दिये है जबकि सार्वजनिक रास्ता खसरा नंबर 741 रकबा 0.22 है0 की भूमि प्रार्थी एवं समस्त ग्रामवासियान द्वारा उपयोग एवं उपभोग में ली जा रही है । इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, सहाड़ा की मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 23.5.2016 को अवलोकन किया । उक्त मौका निरीक्षण में रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि '' साबिक नक्शा व हाल नक्शा के मिलान करने पर साबिक के मुकाबले नया नक्शा मेल नहीं खता है । साबिक नक्शे में खसरा संख्या 924, 925, 923 तथा 926 व 927 के मध्य साबिक बंदोबस्त में रास्ता नहीं था लेकिन भू–प्रबंध के दौरान आराजी नंबर 741 रकबा 0.22 है0 गै0 मु0 रास्ता दर्ज कर दिया गया । आराजी नंबर 742 के उत्तर में

आराजी नंबर 743 रकबा 0.24 है बिलानाम आराजी, आराजी नंबर 744 भी सिवायचक रकबा 081 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता रकबा 0.20 है0, बंजड़ 0.61 है0 है । मौके पर वादीगण का आराजी नंबर 743 रकबा 0. 24 है0 पूर्ण डोल लगाने से कब्जा एवं आराजी नंबर 744 व 741 अनुसार साबिक नंबर 923 मीन, आराजी नंबर 743 रकबा 0.24 है0 भी साबिक नंबर 923 मीन से बना है । साबिक खसरा नंबर 925 रकबा 5 बीघा से मिला हुआ था ।'' उक्त रिपोर्ट से साबिक खसरा नंबर 923 मीन से आराजी खसरा नंबर 743 रकबा 0.24 है0 एवं 741 रकबा 0.22 है0 बनना बताया गया है किन्तु साबिक खसरा नंबर 923 मीन का संपूर्ण रकबा कितना था यह रिपोर्ट में अंकित नहीं किया है । तहसीलदार, सहाड़ा द्वारा प्रस्तुत मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 23.5.2016 अस्पष्ट है ।

8- सार्वजनिक रास्ते की भूमि में से 0.02 है0 रकबा कम किये जाने से प्रार्थी/अपीलांट एवं समस्त ग्रामवासियान के हक व हित प्रभावित होते है । यद्यपि पूर्व में अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 खारिज किया गया था जिसकी निगरानी मान0 राजस्व मण्डल में किये जाने पर मान0 राजस्व मण्डल ने भी अपीलांट की निगरानी खारिज की है किन्तु पत्रावली के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 741 रकबा 0.22 है0, जो कि सार्वजनिक रास्ता की भूमि है, में से रकबा 0.02 है0 भूमि कम की जाकर रेस्पो0 की खातेमदारी भूमि खसरा नंबर 742 में शामिल करने के आदेश दिनांक 23.5.2016 को अधी0न्याया0 ने पारित किये है । अपीलांट अधी0न्याया0 के आदेश दिनांक 23.5.2016 से पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार है क्योंकि सार्वजनिक रास्ते की भूमि में से रकबा कम किये जाने पर समस्त ग्राम के हक प्रभावित होते है तथा ऐसे आदेश के विरूद्ध ग्राम के सभी व्यक्तियों/काश्तकारों को अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का हक व अधिकार है । हम अपीलांट के उक्त कथन से सहमत है क्योंकि विवादित आराजी खसरा नंबर 741 रकबा 0.22 है0 भूमि सार्वजनिक रास्ता है तथा अधी0न्याया0 ने सार्वजनिक रास्ता खसरा नंबर 741 रकबा 0.22 है0 की भूमि से 0.02 है0 भूमि रेस्पो0 के खसरा नंबर 742 में शामिल करने के आदेश पारित किये है जिससे अपीलांट ही नहीं वरन् समस्त ग्रामवासियान जो सार्वजनिक रास्ते का उपयोग एवं उपभोग करते है, के हित व अधिकार प्रभावित होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.5.2016 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

9- उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 23.5.2016 अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

—ःक्रियात्मक आदेशः—

अतः उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील संख्या 95/2017 (2017/00113) बउनवान चुन्नीलाल बनाम नन्दराम आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी,) गंगापुर का निर्णय दिनांक 23.5.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि अपीलांट को प्रकरण में पक्षकार नियुक्त कर, विवादित भूमि के संबंध में पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर विवादित खसरा नंबरान के साबिक व हाल नंबरान से संबंधित आधार अभिलेखों का अवलोकन करते हुए रकबा बरारी कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 14.6.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर